

भागीरथी नदी घाटी में स्थित गंगोत्री हिमनद (Gangotri Glacier) के सम्भरण क्षेत्र में भूस्खलन के कारण अस्तित्व में आयी झील की सूचना पर स्थलीय निरीक्षण करवाया गया सर्वेक्षक दल द्वारा निरीक्षण के दौरान उक्त क्षेत्र में किसी प्रकार की झील का होना नहीं पाया गया। तत्समय में मा0 न्यायालय स्तर से दिये गये निर्देशों के क्रम में शासन द्वारा उक्त क्षेत्र में सम्भावित जोखिम की सर्तकता के दृष्टिगत निगरानी हेतु समय-समय पर उक्त क्षेत्र की मॉनिटरिंग किये जाने हेतु दिनांक 02.04.2019 को गौमुख के टीम लिए खाना की गयी।

दिनांक 02.04.2019 को जिलाधिकारी महोदय द्वारा वरुणावत पर तांबाखानी शूट उपचार कार्य का निरीक्षण किया गया सम्बन्धि कार्यदायी संस्थाओं को निर्धारित समयान्तर्गत कार्य पूर्ण किये ज्ञान के निर्देश दिये गये।



दिनांक 10.03.2019 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में आहूत बैठक में तांबाखानी शूट उपचार कार्य में धीमी की प्रगति के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशानुसार आपदा प्रबन्धन अधिकारी द्वारा तकनीकी विभाग के अभियन्ता के साथ दिनांक 22.03.2019 को उक्त कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया गया है। स्थलीय निरीक्षक के दौरान कार्यदायी संस्था के सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी मौके पर मौजूद रहे। आख्या जिलाधिकारी महोदय को दी गयी।

दिनांक 04.04.2019 को रात्रि लगभग 12:45 बजे जोशियाडा (बैराज) के पास एक मोटरसाइकिल संख्या-यू0के0-10-9738 जो अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हुई उक्त मोटर साइकिल में एक ही व्यक्ति सवार था जिसे अस्पताल लाते समय मृत्यु हो गयी।



दिनांक 06.04.2019 को राजस्व निरीक्षक धौंतरी द्वारा जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र मे सूचना से अवगत कराया गया कि राजकीय इंटर कॉलेज धौन्तरी के गेट के पास एक टैक्टर पलटने से 05 लोग घायल है जिसमें से दो लोग गंभीर घायल है जिन्हे सीएचसी धौन्तरी में प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर के द्वारा उन्हे जिला अस्पताल उत्तरकाशी के लिए 108 के माध्यम से भेजा गया । टैक्टर संख्या यू0के0 14-9867।



दिनांक 07.04.2019 को रात्रि 8:30 बजे तहसील बडकोट ग्राम कृष्णा के पास बुलोरो वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसमें कुल 02 लोग सवार थे जो सुरक्षित है।



18. जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र में लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2019 के सफल सम्पदनार्थ निर्वाचन कन्ट्रोल रूम के रूप में कार्यशील किया गया। तैनात कार्मिकों द्वारा शिफ्टवार तैनात रहकर निर्वाचन सम्बन्धी कार्यों को सफलता पूर्वक किया गया। इसके अतिरिक्त निर्वाचन कन्ट्रोल रूम में कम्युनिकेशन प्लान आदि तैयारी किया गया।



जनपद मुख्यालय के तहसील बड़कोट क्षेत्रान्तर्गत कोटला में भूकम्प के हल्के झटके महसूस किया गया था। जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र द्वारा पुलिस वायरलेस सेट तथा जनपद के समस्त तहसीलदारों से दूरभाष द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार वर्तमान समय में जनपद में भूकम्प से किसी भी प्रकार की नुकसान होने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुयी।

भारतीय मौसम विभाग (IMD) नई दिल्ली द्वारा दूरभाष से प्राप्त सूचना के अनुसार: भूकम्प का विवरण—

- दिनांक—13.04.2019
- समय—21:26 PM
- भूकम्प का परिणाम—2.9 (रियक्टर पैमाने पर)
- अक्षांश—30.9° N
- देशान्तर—78° E
- भूकम्प का केन्द्र— तहसील बड़कोट कोटला के जंगल के एरिया में जनपद उत्तरकाशी।
- भूकम्प की गहराई—10 कि०मी०

दिनांक 15.04.2019 को अपरह्न लगभग 12:00 बजे तहसील बडकोट के मेन बाजार के निकट सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बडकोट मे राजाई-गद्दे की दुकान में शॉट सर्किट होने से दुकान में आग लगने की सूचना प्राप्त हुयी जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र द्वारा फायर सर्विस मोके पर, उपजिलाधिकारी बडकोट, राजस्व टीम, एस.डी.आर.एफ. बडकोट, एम्बुलेंस एवं फायर सर्विस नौगांव, पुरोला मौको पर जल संस्थान के सहयोग से अतिरिक्त पानी की व्यवस्था की गयी।

आग पर दोपहर 2:10 बजे पूर्ण रुप काबू पाया गया।

घटना स्थल के पर निम्न उपकरण तैनात रहें-

अग्निशमन केन्द्र बडकोट-

1-500 लीटर क्षमता फायर टेंडर।

2.2200 लीटर फायर टेण्डर।

अग्निशमन केन्द्र नौगांव-

2.2200 लीटर फायर टेण्डर।

अग्निशमन केन्द्र पुरोला मिनी हैडप्रेसर 1000 क्षमता

अग्नि शमन कार्मिक-20



उक्त अग्निकाण्ड विद्युत शॉर्ट सर्किट होने के कारण घटना प्राकृतिक आपदा के मानकों के अन्तर्गत आच्छादित नहीं है, जिसके कारण प्रभावितों को एस0डी0आर0एफ0 के अन्तर्गत राहत सहायता देय नहीं हुयी। प्रभावित व्यक्तियों का विवरण-

क्र0 सं0	भवन स्वामी का नाम व पता	भवन का प्रकार एवं क्षति का मूल्यांकन (अनुमानित)	किरायादार/दुकानदार का नाम व पता	दुकान का प्रकार	सामान की क्षति का मूल्यांकन (अनुमानित)
अग्निकाण्ड से पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त दुकानों का विवरण					
01	श्री उमरियाल सिंह पुत्र श्री जोत सिंह निवासी न0पा0परि0 बड़कोट		श्री जयदेव सिंह पुत्र श्री विजेन्द्र सिंह एवं अनूप सिंह पुत्र श्री उमरियाल सिंह निवासी न0पा0परि0 बड़कोट।	मेडिकल दुकान/स्टोर	10,00,000.00
02	श्री उमरियाल सिंह पुत्र श्री जोत सिंह निवासी न0पा0परि0 बड़कोट	दो मंजिला पक्का भवन रू0 2,00,000.00	श्री चन्द्रमोहन उनियाल पुत्र श्री रामप्रसाद निवासी ग्राम दारसों	चाय होटल	50,000.00
03	श्री उमरियाल सिंह पुत्र श्री जोत सिंह निवासी न0पा0परि0 बड़कोट	एक मंजिला लकड़ी, टीन का भवन रू0 3,00,000.00	सरीफ अहमद पुत्र अकबर अल्ली नि0 न0पा0परि0 बड़कोट	रजाई-गद्दे की दुकान	4,00,000.00
			सरीफ अहमद पुत्र अकबर अल्ली एवं जयेन्द्र सिंह पुत्र श्री सत्ये सिंह नि0 न0पा0परि0 बड़कोट	आईसक्रीम की फैक्ट्री	6,00,000.00
04	श्री अरविन्द्र पुत्र श्री बिजल दास नि0 न0पा0परि0 बड़कोट	एक मंजिला लकड़ी, टीन का भवन रू0 4,00,000.00	श्री गौतम पंवार पुत्र श्री सुन्दर सिंह निवासी न0.पा0परि0 बड़कोट	मोबाईल की दुकान	5,00,000.00
05			श्री तारावती पत्नी श्री लीला बहादुर नि0 न0पा0परि0 बड़कोट	कार्मेटिक की दुकान	1,50,000.00
06			श्री केदार सिंह पुत्र श्री जबर सिंह निवासी कृष्णा तह0 बड़कोट	कार्मेटिक की दुकान	4,00,000.00
07			श्रीमती अंजना पत्नी श्री केदार सिंह नि0 कृष्णा तह0 बड़कोट	कपड़ा सिलाई की दुकान	2,50,000.00
08			श्री अरविन्द्र सिंह पुत्र श्री बिजल दास नि0 न0पा0परि0 बड़कोट	रेडिमेड/गारमेंट की दुकान	6,00,000.00
अग्निकाण्ड से आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त दुकानों का विवरण					
09	नगर पालिका परिषद बड़कोट	टीन, लोहे का खोका।	श्री मदन सिंह पुत्र श्री अब्बल सिंह नि0 न0पा0परि0 बड़कोट	पान-बीड़ी, सिगरेट आदि की दुकान	30,000.00
10			श्री गम्भीर सिंह पुत्र श्री अब्बल सिंह नि0पा0परि0 बड़कोट	खाने का छोटा होटल	20,000.00
11			श्री संजय सिंह पुत्र श्री अब्बल सिंह निवास न0पा0परि0 बड़कोट	खाने का छोटा होटल	20,000.00
12	श्री अनिल पुत्र श्री बिजलदास नि0 न0पा0परि0 बड़कोट	एक मंजिला पक्का भवन रू0 20,000.00	श्री हयात सिंह पुत्र श्री छारिया सिंह निवासी न0पा0परि0 बड़कोट	मिठाई/चाय का होटल	15,000.00
13	श्री उमरियाल सिंह पुत्र श्री जोत सिंह निवासी न0पा0परि0 बड़कोट	एक मंजिला पक्का भवन रू0 13,000.00	श्री विजयपाल सिंह पुत्र श्री पूरण सिंह निवासी न0पा0परि0 बड़कोट	रेडिमेड कपड़े की दुकान	17,000.000

14	श्री जयेन्द्र सिंह पुत्र श्री सत्ये सिंह एवं उमरियाल सिंह पुत्र श्री सत्ये सिंह निवासी न0पा0परि0 बड़कोट	एक मंजिला पक्का भवन (दो कमरे) रू0 16,000.00	श्री नरेश जैन, सुनिल जैन पुत्र श्री सुम्मत प्रसाद जैन नि0 न0पा0परि0 बड़कोट	रेडिमेड कपड़े, जूते आदि की दुकान	27,000.00
15	श्री जयेन्द्र सिंह पुत्र श्री सत्ये सिंह निवासी न0पा0परि0 बड़कोट	एक मंजिला पक्का भवन (एक कमरा) रू0 9,000.00	श्री राकेश जैन पुत्र श्री लखपत राय जैन निवासी न0पा0परि0 बड़कोट	ऊन आदि की दुकान	10,000.00
16	श्री पूरण सिंह पंवार पुत्र श्री अमर सिंह निवासी न0पा0परि0 बड़कोट	एक मंजिला पक्का भवन (एक कमरा) रू0 5,000.00	श्री पूरण सिंह पंवार पुत्र श्री अमर सिंह निवासी न0पा0परि0 बड़कोट	सोनार की दुकान	10,000.00
17	श्री जयेन्द्र सिंह पुत्र श्री सत्ये सिंह निवासी न0पा0 परि0 बड़कोट	लोहे, टीन का एक मंजिला खोका (एक कमरा) रू0 5000.00	श्री सुनील पुत्र श्री सन्तोष सिंह निवासी न0पा0परि0 बड़कोट	सब्जी की दुकान	5000.00
18		लोहे, टीन का एक मंजिला खोका (दो कमरे) रू0 5000.00	श्री कमेश पुत्र श्री पृथ्वी सिंह निवासी न0पा0परि0 बड़कोट	चाय, चाउमीन आदि की दुकान	12000.00
योग—		9,73000.00	योग—		41,16,000.00

दिनांक 15.04.2019 को विस्थापन सम्बन्धि वीडियो कन्फ्रेंसिंग में आपदा प्रबन्धन अधिकारी द्वारा सम्बन्धितों से समन्वय कर प्रतिभाग किया गया।

बैठक दिनांक 16.04.2019 को वनाग्नि रोकथाम/नियंत्रण के सम्बन्ध में आहूत बैठक की गयी। जिलाधिकारी महोदय द्वारा वन विभाग, पुलिस, आई0टी0बी0पी0, एस0डी0आर0एफ0/अग्निशमन आदि विभागों के कार्मिकों को वनाग्नि रोकथाम सम्बन्धी एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त के सम्बन्ध में प्रभायीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी से हुयी वर्ता के क्रम में जिला कार्यालय में स्थित आडिटोरियम में शीघ्र एक कार्यशाला का आयोजन किये जाने का निर्णय लिया गया।

जनपद के विभिन्न स्थानीय स्तर पर आयोजित होने वाले मेले में वाहन चालकों द्वारा वाहनों में क्षमता से अधिक सवारियां बैठाकर (ओवर लोडिंग) वाहन संचालित एवं नशे की हालत में/अन्य लापरवाही से वाहन चलाने वाले चालकों की निरन्तर निगरानी किये जाने हेतु जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के दृष्टिगत उप जिलाधिकारियों/पुलिस आदि को संयुक्त रूप से सघन चैकिंग किये जाने के निर्देश दिये गये

दिनांक 17.04.2019 को चारधाम यात्रा तैयारी वीडियो कन्फ्रेंसिंग में जनपद आपाताकलीन परिचालन केन्द्र को यात्रा कन्ट्रोल रूम बनाये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कर बैठक में प्रतिभाग किया गया।

दिनांक 19.04.2019 को सांय 4:50 बजे तहसील चिन्यालीयौड अन्तर्गत स्थान देवीसौड मोटर पुल से एक व्यक्ति ने नदी में छलांग लगायी उक्त लापता व्यक्ति का एस0डी0आर0एफ0, पुलिस द्वारा सर्च कार्य किया गया। जनपद आपाताकलीन परिचालन केन्द्र द्वारा आपदा खोज बचाव (QRT) टीम को घटना स्थल के लिए रवाना किया। नदी का बहाव एवं गहराई के कारण सर्च कार्य उक्त दिवस को रोका गया।



दिनांक 20.04.2019 को पुनः आपदा खोज बचाव (QRT)

टीम/एसडीआरफएफ/एस0डी0आर0एफ /डीप डाईबिंग टीम/अग्निशमन/राजस्व दलों द्वारा प्रातः 10:30 बजे सर्च कार्य किया गया किन्तु लापता व्यक्ति खोज-बीन नहीं हुयी।



दिनांक 22.04.2019 को दोपहर 1:00 बजे के स्थान पर 1:30 बजे जिला कार्यालय के सभागार कक्ष में आहूत बैठक में यात्रा तैयारी के दृष्टिगत सम्बन्धित विभागों से समन्वय कर बैठक में प्रतिभाग किया गया।

दिनांक 23.04.2019 को समय लगभग 3:30 बजे तहसील चिन्यालीसौड बडेथी बनचौरा मोटर मार्ग दिवारी खोल रिखण गाँव के पास अल्टो कार संख्या-यू0के0-07-ए एस 3315 दुर्घटनाग्रस्त हुयी है। उक्त वाहन में 03 व्यक्ति सवार थे जिन में से 02 घायल हुए हैं, जिन्हे निजि वाहन के माध्यम से सी0एच0सी0 चिन्यालीसौड में उपचार हेतु लाया गया है।

25.04.2019 को सांय 6:00 बजे मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में आहूत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समीक्ष बैठक से सम्बन्धित प्रस्तावित एजेण्डा के बिन्दु संख्या- 11 आपदा प्रबन्धन विभाग से सम्बन्धी के साथ प्रतिभाग किया गया।

दिनांक 27.04.2019 को उत्तरकाशी ज्ञानसू में गोदाम के नजदीक रसोईगौस का सिलेंडर से भरा एक छोटा वाहन पलटा। वाहन में चालक घायल हुआ जिसे उपचार हेतु जिला अस्पताल लाया गया।



जिलाधिकारी महोदय द्वारा चारधाम यात्रा-2019 के दृष्टिगत दिनांक 26 अप्रैल 2019 को श्री यमुनोत्री धाम में आवश्यक व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया। जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र द्वारा निरीक्षण के दौरान निम्न बिन्दुओं पर शीघ्र कार्यवाही किये जाने हेतु सम्बन्धितों से समन्वय किया गया।

1. सडक का चौडीकरण पर्याप्त नहीं है।
2. मलवा/पत्थर सडक पर पडे हैं जिस कारण राष्ट्रीय राजमार्ग उबड-खाबड है।
3. राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहन पासिंग हेतु पर्याप्त स्थान नहीं है।
4. धरासू से खरादी तक यात्रा तैयारी के दृष्टिगत चौडीकरण कार्य प्रगति असंतोषजनक है।

पुलिस विभाग को यात्रा कन्ट्रोल रूम/जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र में दिनांक 30 अप्रैल 2019 तक श्री गंगोत्री/यमुनोत्री धाम यात्रा ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान एवं पार्किंग प्लान तैयार कर उपलब्ध कराना कराये जाने के निर्देश दिये गये

तापमान बढ़ने के कारण वनाग्नि की घटनायें घटित होने की प्रबल सम्भावना है। वनाग्नि की घटनाओं से आम जनमानस को सुरक्षा प्रदान किये जाने तथा घटनाओं की रोकथाम/नियंत्रण हेतु वनाग्नि नियंत्रण कन्ट्रोल रूम/जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र में तत्काल सूचनाओं के आदान-प्रदान/सम्बन्धितों से समन्वय हेतु सक्षम अधिकारी/कर्मचारी की तैनाती के निर्देश दिये गये इसके अतिरिक्त वनाग्नि नियंत्रण हेतु ग्राम प्रहरियों एवं जनपद अन्तर्गत समस्त विभागों के क्षेत्रीय कर्मचारियों/प्रधान/एस0डी0आर0एफ0पुलिस आदि का सहाय्योग लिये जाने के निर्देश दिये गये।

दिनांक 28.04.2019 को उत्तरकाशी ज्ञानसू गैस गोदाम के ऊपर जंगल में आग लगने की सूचना प्राप्त होते ही जनपद आपातकालीन से QRT टीम तथा फायर सर्विस, वन विभाग की टीम को घटना स्थल पर आग पर काबू पाया।



दिनांक 29.04.2019 को उत्तरकाशी जामक गांव के जंगल में आग लगने की सूचना प्राप्त होते ही जनपद आपातकालीन से QRT टीम तथा फायर सर्विस की टीम को घटना स्थल पर आग पर काबू पाया।



दिनांक 29.04.2019 को श्रीकोट के पास एक बैगनार कार दुर्घटनाग्रस्त हुयी है जिसमें 04 लोग सवार थे जो सामान्य घायल बताए गये जिन्हे 108 सेवा से सी0एच0सी0 चिन्यालीसौड में लाया गया उक्त वाहन बनचौरा से चिन्यालीसौड की ओर आ रहा था।



जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा एस0डी0आर0एफ0 मद से 04 Remote area light क्रय की गयी।

आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की धारा-31 एवं 32 के अनुपालन में आपदा प्रबन्धन सम्बन्धित समस्त कार्यों के नियोजित रूप से क्रियान्वयन हेतु विभागीय आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना अद्यतन/तैयार किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा उच्च हिमालयी क्षेत्र में ट्रेकिंग हेतु सुरक्षित होने के दृष्टिगत गंगोत्री-गौमुख ट्रेक मार्ग पर यात्रियों एवं पर्यटकों के आवागमन के सम्बन्ध में सर्वेक्षण हेतु 22.04.2019 को वन विभाग टीम भेजी गयी। टीम द्वारा प्रस्तुत आख्या के अनुसार

आपदा प्रबन्धन के दृष्टिगत निम्न शर्तों पर गंगोत्री-गौमुख ट्रेक रूट पर गौमुख तक अनुमति प्रदान की जा सकती है-

1. यात्रियों/पर्यटकों को पंजीकृत ऐजेंसियों के मार्गदर्शन में कुशल प्रशिक्षित पर्वतारोही गाईड/पोटर्स के साथ भेजा जाय तथा किसी भी दशा में असंगठित/बिना पूर्व तैयार के दल को न भेजा जाय।
2. ऐजेंसियों के पास यात्रियों की संख्या/ट्रेकिंग के दिवस के अनुसार पर्याप्त ट्रेकिंग उपकरण एवं भोजन आदि की व्यवस्था की जांच करें।
3. ट्रेकिंग/पर्वतारोहण पर जा रहें दल के समस्त सदस्यों का स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त की जाय।
4. ट्रेकिंग/पर्वतारोहण रूट का मैप, विभिन्न पड़ाओं (कैम्प) के नाम कॉर्डिनेट सहित, रोडहेड, ट्रेक रूट के पड़ाववार पैदल दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, संचार सुविधा, ट्रेक रूट पर उपलब्ध सुविधा, श्रेणी तथा हैलीपैड आदि की सुविधा सम्बन्धी सूचनाओं के साथ प्राप्त किया जाय।
5. ट्रेकिंग/पर्वतारोहण पर यदि दुर्घटना घटित होती है तो समस्त जिम्मेदारी एजेन्सी की होगी। एजेन्सी दुर्घटना घटित होने की स्थिति में रेस्क्यू कार्य करेगी का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाय। एजेन्सी हैलीसेवा कम्पनी से रेस्क्यू हेतु समन्वय करते हुये एक समन्वयक व्यक्ति को उपलब्ध करायेगी।

6. ट्रेकिंग अवधि में मौसम पूर्वानुमान के अनुसार अनुमति प्रदान की जाय।
7. गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क में प्रवेश सम्बन्धी अन्य विभागीय शर्तों का अनुपालन।

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा यात्रा/सड़क दुर्घटनाओं एवं आपदा के समय त्वरित गति से खोज-बचाव कार्य हेतु क्रय खोज-बचाव उपकरण पुलिस/अग्निशमन/राजस्व आदि विभागों को यात्रा/मानसून तैयारी के दृष्टिगत उपलब्ध कराये गये हैं।

इसके अतिरिक्त स्वच्छता कार्यक्रम, यात्रा/वनाग्नि/आपदा पूर्व तैयारी अन्य बैठकों में प्रतिभाग करते हुये उच्चाधिकारियों द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया गया है।



(देवेन्द्र सिंह पटवाल)
आपदा प्रबन्धन
अधिकारी,
उत्तरकाशी।

प्रतिलिपि:- निम्नांकितों की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. अपर सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. अधिशासी निदेशक, आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र, सचिवालय, देहरादून।
3. राज्य समन्वयक, एस0आर0डी0आर0 परियोजना, आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र, सचिवालय, देहरादून।



आपदा प्रबन्धन अधिकारी,
उत्तरकाशी।